



प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

लखनऊ दिनांक 27 अप्रैल, 2026

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी नाहर सिंह पुत्र श्री पदम सिंह, निवासी जनपद-मथुरा की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0) के पत्र संख्या-25779/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-13.06.2025) दिनांक-25.06.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी नाहर सिंह पुत्र पदम सिंह, नंगला केहरी, एच0/ओ0-पांडल थाना-गोवर्धन, जनपद-मथुरा का निवासी है। बन्दी ने दिनांक 04.08.2007 को ट्रैक्टर पर बैठकर खेत से जाने को लेकर हुये विवाद में 10 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर पिस्टल, बंदूक, फरसा, कुल्हाड़ी, डण्डा, सरिया तथा लाठी आदि से हमला कर कुल 02 लोगों की हत्या कर दी, उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-623/2007 में भा0द0वि0 की धारा-148,302/149, 506 में मा0 अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0-06 मथुरा के आदेश दिनांक 10.05.2010 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी की अपील मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष विचाराधीन है, बन्दी द्वारा दिनांक 08.08.2021 तक अपरिहार 14 वर्ष, 00 माह, 02 दिन तथा 17 वर्ष, 04 माह, 08 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

3- जिला प्रोवेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मथुरा द्वारा शासनादेश संख्या 1658/22-02-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर 9-(2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 क्रि०एल० जे० 1471 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं आने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुनः अपराध करने में अशक्त न होने, जेल में और आगे निरुद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, की आख्या का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- प्रोवेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रकरण में बन्दी ने दिनांक 04.08.2007 को ट्रैक्टर पर बैठकर खेत से जाने को लेकर हुये विवाद में 10 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर पिस्टल, बंदूक, फरसा, कुल्हाड़ी, डण्डा, सरिया तथा लाठी आदि से हमला कर कुल 02 लोगों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। जिला प्रोवेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोवेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट, मथुरा की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी नाहर सिंह पुत्र पदम सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

5- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी नाहर सिंह (बन्दी संख्या-17013) पुत्र श्री पदम सिंह, निवासी जनपद-मथुरा के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-440/2026/1376(1)/22-2-2025 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- जिला मजिस्ट्रेट, मथुरा।
- 2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
- 3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
- 4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
- 5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

दिनांक 27 अप्रैल, 2026 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी नाहर सिंह पुत्र पदम सिंह, नंगला केहरी, एच0/ओ0-पांडल थाना-गोवर्धन, जनपद-मथुरा का निवासी है। बंदी ने दिनांक 04.08.2007 को ट्रैक्टर पर बैठकर खेत से जाने को लेकर हुये विवाद में 10 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर पिस्टल, बंदूक, फरसा, कुल्हाड़ी, डण्डा, सरिया तथा लाठी आदि से हमला कर कुल 02 लोगों की हत्या कर दी, उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-623/2007 में भा0द0वि0 की धारा-148,302/149, 506 में मा0 अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0-06 मथुरा के आदेश दिनांक 10.05.2010 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी की अपील मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष विचाराधीन है, बंदी द्वारा दिनांक 08.08.2021 तक अपरिहार 14 वर्ष, 00 माह, 02 दिन तथा 17 वर्ष, 04 माह, 08 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मथुरा द्वारा शासनादेश संख्या 1658/22-02-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर 9-(2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 क्रि0एल० जे० 1471 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं आने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुनः अपराध करने में अशक्त न होने, जेल में और आगे निरुद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, की आख्या का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रकरण में बंदी ने दिनांक 04.08.2007 को ट्रैक्टर पर बैठकर खेत से जाने को लेकर हुये विवाद में 10 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर पिस्टल, बंदूक, फरसा, कुल्हाड़ी, डण्डा, सरिया तथा लाठी आदि से हमला कर कुल 02 लोगों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट, मथुरा की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी नाहर सिंह पुत्र पदम सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

कमलेश कुमार

उप सचिव।